न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **89/2017**

GCMS No. : **2017/00179**

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. पकंज तोमर पुत्र भूपाल सिंह जाति– जाट, निवासी– 50, गायत्री नगर ब्यावर हाल निवासी– कस्तुरबा गान्धी महिला शिक्षण महाविधालय पातुस 2. रेहान युसुफ पुत्र युसुफ अख्तर 3. जाति– मुसलमान, निवासी– सैफ मन्जिल लाल साहब मन्दिर के पास मार्ग हाल निवासी– कस्तुरबा गान्धी महिला शिक्षण महाविधालय पातुस

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955 **तारीख रजू – : 02.05.2017**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 14/09/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 61/22, 61/23 कुल रकबा 0–10 बीघा, मौजा पातुस** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 02 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ** जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक 06.04.2017** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ** का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.10.07 16:16:02 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि उपरोक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 61/22, 61/23, 61/26, 61/27 रकबा 0-15 बीघा भूमि के बाबत् विवाद बताया गया हैं, लेकिन उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि नहीं रही हैं, एवं न ही राजस्व रेकॉर्ड में कृषि भूमि रही है। इस भूमि का भू-रूपांन्तरण भू-रूपांन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो चुका है तथा अब भूमि नगरपालिका जैतारण के नाम से जरिये M. NO. 438 के दर्ज हो चुकी है। इस कृषि भूमि के बाबत् 177 R.T. Act के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा भू. रूपान्तरण की कार्यवाही की प्रार्थी पक्ष द्वारा की गयी है। इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से लगाये गये सभी आरोप झुठे है। जो अस्वीकार हैं एवं कानूनी पद काबिल ओर अदालत के हैं। अतः जवाब कार्यवाही पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमावें।

बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि वादग्रस्त आराजी नगरपालिका जैतारण द्वारा शैक्षणिक प्रयोजानार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। तथा नामांतरण संख्या 438 व 439 से दूसरा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ नामांतरण स्वीकृत होकर जमाबन्दी में भी अमल-दरामद हो चुका है। इस प्रकार वाद-ग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178 भी काश्तकार को इस बाबत अवसर प्रदान करनें की व्यवस्था करती हैं, ताकि काश्तकार या तो भूमि को मूल-स्वरूप में ला सके या समक्ष प्राधिकारी से नियमानुसार उसका संपरिवर्तन करवा सके। अतः वाद-ग्रस्त आराजी संपरिवर्तित होकर भू. अभिलेख में अमल-दरामद हो जानें से हस्तगत प्रार्थना-पत्र सारहीन रह जाता है, अतः इसे अस्वीकार किया जाना विधि सम्मत रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 14/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.10.07 16:16:02 IST
Reason: SelfAttested